No.:RVPN/AO(Admn.-Store)/F. /18-19/D. 346 Date: 27.2.2019

Copy along with enclosure to the following with the request for further transmitting to each office falling under their jurisdiction for necessary compliance of Point No. 1.5 in the matter and conveying directly to the Energy Department, Govt. of Rajasthan :-

1. The Chief Engineer / Addl. Chief Engineer (PP&D / Procurement / Contracts / NPP&RA / IT / MPT&S / Communication(*) LD / Civil), RVPN, Jaipur/ Ajmer/Jodhpur.
2. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur.
3. The Jt. Director (Corp. Affairs)-cum-Company Secretary, RVPN, Jaipur.
4. The Joint Director Personnel, RVPN, Jaipur.
5. The Joint Secretary (Pension), RVPN, Jaipur.
6. The Joint Legal Remembrancer, RVPN, Jaipur, for information.
7. The Land Acquisition Officer, RVPN, Jaipur.
8. TA to CMD, RVPN, Jaipur.
9. The Superintending Engineer (QC, Insp. & Monitoring / Protection Engineering / HRD & Trg.), RVPN, Jaipur.
10. TA to Director (Technical / Operation) , RVPN, Jaipur.
11. PS to Director (Finance), RVPN, Jaipur.
12. Controller of Internal Audit, RVPN, Jaipur.
13. The Dy. Director (Public Relations), RVPN, Jaipur.
14. Dy. Secretary (GAD) / A.S. (Estt.-I/II/III/APAR), RVPN, Jaipur.
15. The Analyst-Cum-Programmer, RVPN, Jaipur.
16. The Web. Admin. O/o. Superintending Engineer (MIS), RVPN, Jaipur to upload the same on RVPN's website.

(Shyam Singh)
Secretary (Admn.)

Encl.: As above.

(*) Communication :-
(1) Jaipur
(2) Ajmer
(3) Jodhpur

Total = 1 to 14 pages

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
[Corporate Identity Number(CIN: U40109RJ2000SGC016485]
OFFICE OF THE JOINT LEGAL REMEMBRANCER
(Legal Affairs Department)
Regd. Office: VidyutBhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005
Telephone: +91-141-2740248 : Fax: +91-141-......................:
Email: jlr.rvpn@rvpn.co.in Website: www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn

NO. RVPNL/ JLR/ F.12 (G-6-9-Part 3 / 1) / D. 1678 Jaipur. Dated 18.2.19

The Dy. Secretary to Government,
Energy Department,
Government of Rajasthan,
Secretariat,
Jaipur.

SECRETARY (Admn) RRVPNL
D / No. 8537 Dt. 20/2/19

Sub:- State Consumer Protection Council meeting held on dt. 11.07.2018.

Ref:- Your office Letter No. F.12(04)URJA/2017 dt. 04.02.2019 and Letter No. F.12(04)URJA/2017 dt. 12.02.2019.

With reference to above cited subject, I am directed to convey that Minutes of Meeting (MOM) dt. 11.07.2018 was not received earlier and the same was personally collected from the Energy Department, Government of Rajasthan on dt. 13.02.2019, and the point-wise information which has been desired on the Point No. 1.1 to 1.5, is as under:

1. Point No. 1.1: This point does not directly pertain to RVPN.
2. Point No. 1.2: This point does not directly pertain to RVPN as not dealing with consumers directly.
3. Point No. 1.3: The letter received from your good office has further been circulated for necessary compliance through the circle Superintending Engineer situated at different locations of Rajasthan State.
4. Point No. 1.4: This point does not directly pertain to RVPN and pertains to Discoms.
5. Point No. 1.5: The matter has been sent to the Administrative Wing of RVPN for arranging the compliance directly to the Energy Department, Government of Rajasthan.

A.A.O. (Adm) Pl. circulate to all officials of branches of RVPN 20/2

Sd/-
LAW OFFICER

Copy to the following for information & necessary action:-

1. The Secretary (Admn.), RVPN, Jaipur, with a copy of above referred letters.
2. The Zonal Chief Engineer (T&C), RVPN, Jaipur / Ajmer / Jodhpur, with the request for further transmitting to each circle Superintending Engineer in his jurisdiction for necessary compliance of Point No. 1.3. in the above matter and conveying directly to the Energy Department, Government of Rajasthan.

Encl: As above.

AO/375 21/2/19

LAW OFFICER

479

JLR

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

PS/CMD/T/R No. 3919
Dated 04/02/19

04 FEB 2019

जयपुर, दिनांक: 04/02/2019

क्रमांक प.12(04)ऊर्जा/2017

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण निगम लि0,
प्रबन्ध निदेशक
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि0,
जयपुर।

Joint Legal (Remembrancer)
RRVPNL, Jaipur-5
R.R. No. 2448
Date 6.2.19

विषयः– राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक दिनांक 11.07.2018 का कार्यवाही विवरण
सन्दर्भः–विभाग के समसंख्यक पत्र कमांक प.12(04)ऊर्जा/2017 दिनांक 23.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 11.07.2018 में लिये गये निम्न निर्णय बिन्दु की पालना रिर्पोट चाही गई थी।

बिन्दु सं0	निर्णय
1	1. ऊर्जा विभाग के अंतर्गत होने वाली समझौता समिति की बैठकों में व्यवस्थागत सुधार हो। छाया–पानी एवं बैठक हेतु आवश्यक तैयारियां सुव्यवस्थित हो। 2. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट एवं विभिन्न अवसरों/माध्यमों से की गई उपभोक्ता हितैषी घोषनाओं एवं लाभ की जानकारी पब्लिक डोमेन/संबंधित कार्य स्थल पर प्रदर्शित की जावें। 3. ऊर्जा विभाग के प्रकरण, जो विभिन्न न्यायालयों/जिला उपभोक्ता मंच में लम्बित है, उनका निराकरण/निस्तारण समझौता समितियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे। 4. उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग/खपत के अनुसार कनेक्शन/मीटर की भार वृद्धि हेतु प्रेरित किए जाने के क्रम में भी प्रचार–प्रसार किया जावे। 5. विधान सभा में ऊर्जा विभाग से संबंधित की गई बजट घोषनाओं की क्रियान्विति का पीछा करने (Pursue) एवं उनके व्यापक प्रचार–प्रसार की पद्धति–प्रक्रिया–मापदण्ड निर्धारित किए जावे।

परन्तु वांछित सूचना अभी तक अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उप निदेशक (योजना एवं प्रचार–प्रसार), पदेन उप राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त पत्र कमांक एफ.89(25)खा.वि./उ.सं./2006 दिनांक 24.01.2019 की प्रति संलग्न कर आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त निर्णय बिन्दु की पालना रिर्पोट से इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करे।

भवदीय

(चन्द्र प्रकाश चावला)
शासन उप सचिव, ऊर्जा

प्रतिलिपि – निदेशक, उपभोक्ता मामलात विभाग, आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल स्वागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन उप सचिव, ऊर्जा

480

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ. 89(25)खा.वि./उ.सं./2006 जयपुर, दिनांक २५.01.2019

शासन उप सचिव,
ऊर्जा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग
पत्र प्राप्ति संख्या 732
दिनांक 15/1/2019

विषय :– राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की दिनांक 11.07.2018।
प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक प. 12(04)ऊर्जा/2017 दिनांक 23.08.2018 13/C

महोदय,

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–7 के अन्तर्गत विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 89(4)उ.सं./2013 दिनांक 04.01.2014 एवं विभागीय आदेश दिनांक 08.12.2016 द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक दिनांक 11.07.2018 को दोपहर 2.00 बजे माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में विचार–विमर्श के दौरान निम्न सुझाव प्राप्त हुए हैं :–

(1) ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाली समझौता समिति की बैठकों में व्यवस्थागत सुधार हो। छाया–पानी एवं बैठक हेतु आवश्यक तैयारियां सुव्यवस्थित हो।

(2) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट एवं विभिन्न अवसरों/माध्यमों से की गई उपभोक्ता हितैषी घोषणाओं एवं लाभ की जानकारी पब्लिक डोमेन/संबंधित कार्य स्थल पर प्रदर्शित की जावे।

(3) ऊर्जा विभाग के प्रकरण, जो विभिन्न न्यायालयों/जिला उपभोक्ता मंच में लम्बित हैं, उनका निराकरण/निस्तारण समझौता समितियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे।

(4) उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग/खपत के अनुसार कनेक्शन/मीटर की भार वृद्धि हेतु प्रेरित किए जाने के क्रम में भी प्रचार–प्रसार किया जावे।

(5) विधान सभा में ऊर्जा विभाग से संबंधित की गई बजट घोषणाओं की कियान्विति का पीछा करने (Pursue) एवं उनके व्यापक प्रचार–प्रसार/प्रदर्शन को भी उपभोक्ता हित में सुनिश्चित किया जावे।

इसकी क्रियान्विति आपके विभाग के स्तर पर अपेक्षित है। समसंख्यक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपने इस संदर्भ में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण निगम लि0, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर एवं प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0, अजमेर/जोधपुर, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि0, जयपुर को निर्णय बिन्दु की पालना करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रति विभाग को पृष्ठांकित की गई थी। प्राप्त सुझाव के संबंध में निर्धारित समयावधि तीन माह बीत जाने के पश्चात् भी अभी तक इस संदर्भ में हुई प्रगति से विभाग को अवगत नहीं कराया गया है। चूंकि अतिशीघ्र राज्य परिषद् की बैठक आयोजित होनी है, अतः कृपया प्रगति रिपोर्ट से विभाग को अविलम्ब अवगत करावें।

भवदीय,

(संजय झाला)
उप निदेशक (योजना एवं प्रचार–प्रसार)
पदेन उप राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी

आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल स्वागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर, राजस्थान
वेबसाइट : consumeraffairs.raj.nic.in ई–मेल आई.डी. : ddca72@gmail.com दूरभाष नं. : 0141–2209756

63

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्र प.12(04)ऊर्जा/2017 जयपुर, दिनांक: 23 AUG 2018

एवं प्रबन्ध निदेशक,
स्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण निगम लि0,
पुर विद्युत वितरण नि0 लि0,
पुर।

निदेशक
र/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0,
र/जोधपुर
स्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि0,
पुर।

विषयः– राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक दिनांक 11.07.2018 का कार्यवाही विवरण

दय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप निदेशक, पदेन उप राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उपभोक्ता विभाग से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 11.07.2018 में लिये गये निम्न निर्णय बिन्दु की ना आपके निगम स्तर पर कर पालना रिपोर्ट से विभाग को अवगत करावें।

बिन्दु सं0	निर्णय
1	1. ऊर्जा विभाग के अंतर्गत होने वाली समझौता समिति की बैठकों में व्यवस्थागत सुधार हो। छाया–पानी एवं बैठक हेतु आवश्यक तैयारियां सुव्यवस्थित हो। 2. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट एवं विभिन्न अवसरों/माध्यमों से की गई उपभोक्ता हितैषी घोषनाओं एवं लाभ की जानकारी पब्लिक डोमेन/संबंधित कार्य स्थल पर प्रदर्शित की जावें। 3. ऊर्जा विभाग के प्रकरण, जो विभिन्न न्यायालयों/जिला उपभोक्ता मंच में लम्बित है, उनका निराकरण/निस्तारण समझौता समितियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे। 4. उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग/खपत के अनुसार कनेक्शन/मीटर की भार वृद्धि हेतु प्रेरित किए जाने के क्रम में भी प्रचार–प्रसार किया जावे। 5. विधान सभा में ऊर्जा विभाग से संबंधित की गई बजट घोषनाओं की क्रियान्विति का पीछा करने (Pursue) एवं उनके व्यापक प्रचार–प्रसार की पद्धति–प्रक्रिया–मापदण्ड निर्धारित किए जावे।

भवदीय

(चन्द्र प्रकाश)
शासन उप सचिव, ऊर्जा

पि – निदेशक, उपभोक्ता मामलात विभाग, आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल स्वागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर राजस्थान

शासन उप सचिव, ऊर्जा

il/Nainawat/Hindi letter 2nd File 2017

(4)

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांकः एफ 89(25)खा.वि/उ.स./2006 जयपुर दिनांकः– 1 07.2018

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 11.07.2018

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा–7 के अन्तर्गत विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 89(4)उ.स./2013 दिनांक 04.01.2014 एवं विभागीय आदेश दिनांक 08.12.2016 द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठित है। राज्य परिषद् की बैठक दिनांक 11.07.2018 को दोपहर 02.00 बजे श्री बाबूलाल वर्मा, माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अध्यक्षता में शासन सचिवालय, मुख्य भवन स्थित समिति कक्ष–2 में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

सर्वप्रथम बैठक के प्रारम्भ में श्री मातादीन शर्मा, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग ने आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया। स्वागत संबोधन के पश्चात् विभाग के उप निदेशक श्री संजय झाला द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की गत बैठक दिनांक 06.02.2017 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रोन्नति और संरक्षण विषयक विभाग द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण कार्य के संबंध में जानकारी दी गईः–

I. डायरेक्ट सेलिंग दिशा–निर्देश : भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2016 को प्रत्यक्ष बिक्री के दिशा–निर्देश एवं दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को प्रत्यक्ष बिक्री दिशा–निर्देशों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य सरकारों को भी प्रत्यक्ष बिक्री और बहुस्तरीय विपणन व्यापार को विनियमित करने के लिये गाइडलाइन जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए। विभाग द्वारा सार्वजनिक रूप से भी दिनांक 12.03.2018 एवं 12.04.2018 को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाकर इस संबंध में सुझाव मांगे गए। इस कम में विभागीय स्तर पर संबंधित फैडरेशन/संघ, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन एवं विषय विज्ञों के साथ दिनांक 12.04.2018 एवं 22.06.2018 को बैठकें आयोजित की गई। निर्णयानुसार आवश्यक संशोधन किये जाकर अधिसूचना जारी किए जाने से पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन प्रकियाधीन है।

II. मूल्य निगरानी प्रकोष्ठः भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल http://consumeraffairs.raj.nic.in/pmc पर अब आम उपभोक्ता, नागरिक, व्यवसायी, स्वैच्छिक संगठन आदि भी 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक–खुदरा भावों को देख सकेंगे तथा स्थानीय भावों की पोर्टल पर प्रविष्ठि भी कर सकेंगे। उपभोक्ता हित में इसका दिनांक 04 जुलाई, 2018 के समाचार पत्रों

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।

III. **राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन:** उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत पेट्रोलियम, मेडिकल नेग्लिजेन्सी, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेन्स से संबंधित "उपभोक्ता समस्या–निराकरण" विषयक FAQ तैयार किए जाने के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 07 मई, 2018 को **हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर** में आयोजित की गयी। इस संबंध में FAQ तैयार किए जाकर उनकी अन्तिम रूप दिए जाने हेतु माह अगस्त, 2018 में पुनः एक स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

IV. **उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987:** इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 18.05.2018 के क्रम में भारत सरकार द्वारा तैयार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित मॉडल नियमों के अनुरूप नियम बनाए जाने है, जो प्रक्रियाधीन है।

V. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016:** इसके कियान्वयन हेतु भवन विनियामक कियाकलापों में शामिल सभी विभागों को संहिता के अनुरूप नीति निर्धारिण हेतु अनुरोध किया गया।

VI. **एल.पी.जी. उपयोग सुरक्षा एवं सावधानियां:** राज्य स्तरीय तेल कंपनियों के समन्वय से विभाग द्वारा दिनांक 15 जून, 2018 को दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के समस्त संस्करणों (राज्य स्तरीय) में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया।

परिषद् की पिछली बैठक की दिनांक 06.02.2017 के लिए गए निर्णयों के संबंध में पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की गई:–

बिन्दु सं	बैठक में लिये गये निर्णय	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही/ प्रगति विवरण
1	राज्य में दिनांक 01 अक्टूबर को राज्य उपभोक्ता दिवस घोषित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर पर भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	सक्षम स्तर पर प्रकरण का अनुमोदन नहीं होने के कारण प्रस्ताव निरस्त किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।**
2	उर्जा विभाग में अधिक बिल राशि की शिकायतों के निस्तारण हेतु सेटलमेन्ट कमेटी की नियमित बैठकें आयोजित करने एवं सेटलमेन्ट	ऊर्जा विभाग ने अपने पत्र दिनांक 17.07.2017 द्वारा अवगत कराया है कि उर्जा विभाग में अधिक बिल राशि की शिकायतों के निस्तारण हेतु सेटलमेन्ट कमेटी

	हेतु 50 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत राशि उपभोक्ता से ली जाकर सेटलमेन्ट किये जाने की आश्वस्ति उर्जा विभाग से चाही गयी।	की नियमित बैठकें आयोजित करने एवं सेटलमेन्ट हेतु 50 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत राशि उपभोक्ता से ली जाकर सेटलमेन्ट किये जाने के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के बिलों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु विभिन्न स्तर पर समझौता समिति की नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की जाती है। विद्युत चोरी के प्रकरणों की वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यू समिति के समक्ष कृषि उपभोक्ताओं से सिविल लायबिलिटी की 20 प्रतिशत राशि (अन्य मामलों में 50 प्रतिशत) जमा करवाकर सुनवाई की जाती है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत दुरूपयोग के मामलों में सुनवाई अपीलेट अथारिटी के समक्ष की जाती है, जिसके लिये विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अनुसार दुरूपयोग राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाकर सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। बिलिंग संबंधी एवं अन्य मामलों की सुनवाई विभिन्न स्तर पर शिकायत निवारण एवं समझौता समिति के समक्ष निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करवाकर की जाती है, जिसके लिये 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने की कोई बाध्यता नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा Individual merits के आधार पर समुचित राशि जमा करवाकर मामले की सुनवाई की जाती है।
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा ने

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

	विद्यालयों की तरह ही राज्य के कॉलेजों में भी उपभोक्ता क्लब खोले जाने का निर्णय लिया। इस हेतु कॉलेज शिक्षा निदेशालय के माध्यम से इच्छुक महाविद्यालयों के प्रस्ताव लिये जायेंगे। इच्छुक महाविद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें भी राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने का नीतिगत निर्णय लिया जा सकेगा।	राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2017 में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति के संबंध में इस हेतु कॉलेज शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मंगवाये जाकर सक्षम स्तर पर अनुमोदनोपरान्त दिनांक 17.11.2017 को प्रत्येक क्लब को 20—20 हजार रूपये की राशि आवंटित कर दी गई है तथा क्लबों के संचालन हेतु विस्तृत कार्य योजना भी दिनांक 23.11.2017 को जारी कर दी गई है। **क्रियान्विति पूर्ण/कार्यवाही अपेक्षित नहीं।**
4	स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न जांच हेतु दरों में एकरूपता लाये जाने के संबंध में यथोचित परीक्षण कर रिपोर्ट राज्य परिषद् को भिजवाये जाने हेतु चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया।	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.04.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि चिकित्सा संस्थान में आमजन को सामान्य मूलभूत जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाने एवं चिकित्सा संस्थानवार जांचों की संख्या में एकरूपता लाने हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना प्रारम्भ की गई। इसके अतिरिक्त जांचों की संख्या, काम में आने वाले उपकरण, उपयोग में आने वाले रिएजेण्ट्स/कन्ज़्यूमेबल्स की दर, चिकित्सालय की भौगोलिक स्थिति एवं मरीजों के दवाब पर निर्भर करती है, अतः चिकित्सा संस्थानवार जांचों की दरों में एकरूपता नहीं हो सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उपभोक्ता हित में इस संबंध में पुनर्विचार हेतु दिनांक 18.092017 एवं 09.07.2018 को लिखा गया है।

5	राशन डीलर द्वारा उपभोक्ता को राशन सामग्री नहीं दिये जाने पर राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाने और एक निश्चित समयावधि में उसको राशन दिलवाने के संबंध में प्रकिया और पद्धति बनाये जाने के संबंध में राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन की संचालक संस्था 'केन्स' को निर्देशित किया गया।	इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया एवं पद्धति का क्रियान्वयन हेल्पलाइन 'इण्डस्ट्रीयल प्रोटेक्शन फोर्स' द्वारा किया गया है। हैल्पलाइन की कार्यावधि/अन्तिम कार्य दिवस दिनांक 30 जून, 2018 तक था। नई निविदा किया जाना प्रकियाधीन है।
6	राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के व्यापार के व्यवहार के संबंध में प्रकिया संबंधी नियमों का समावेशन उपभोक्ता संरक्षण नियमों में किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।	विभाग द्वारा इस कम में नियम बनाए जाने प्रकियाधीन थे और वित्त एवं कार्मिक विभाग के पश्चात विधि विभाग को विधिक्षा हेतु भेजे गए थे, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 18.05.2018 के कम में भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित मॉडल रूल्स को अंगीकार किया जाना है। ऐसी स्थिति में नियम बनाए जाने से संबंधित समस्त प्रकिया नए स्तर से की जानी है, जो प्रारंभ कर दी गई है।

बैठक में उपस्थित सदस्यगण द्वारा उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। ऊर्जा विभाग द्वारा अधिक बिल राशि की शिकायतों के निस्तारण के संबंध में अत्यधिक असंतोष व्यक्त किया गया तथा बैठक में उपस्थित विशिष्ट शासन सचिव, श्री पी. रमेश द्वारा सदस्यों को ऊर्जा विभाग से संबंधित बिन्दुओं के त्वरित एवं सुव्यवस्थित निस्तारण के संबंध में आश्वस्त किया गया।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा ऊर्जा विभाग के संबंध में माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई उपभोक्ता हितैषी घोषणाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिये गये। बैठक में माननीय सांसद श्री देवजी पटेल ने विद्युत खपत के अनुसार भार वृद्धि करवाने हेतु प्रेरित किये जाने के क्रम में व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता बताई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जांच दरों में एकरूपता के क्रम में चिकित्सा निदेशक श्री वी.के. माथुर द्वारा विधिक प्रावधानों से अवगत कराया गया। जिला प्रमुख श्री मूलचन्द मीणा एवं सभी सदस्यों ने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों/मसालों में मिलावट के प्रति गंभीर चिंता जाहिर की एवं मिलावट के विरूद्ध एक प्रभावी अभियान चलाये जाने

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

की आवश्यकता बताई। परिषद् ने पूर्व में संचालित चल–प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराने को कहा। इस पर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने कहा कि वर्तमान में चल–प्रयोगशाला पूर्णतः बंद है। इस पर परिषद ने चल–प्रयोगशालाओं की सक्रियता हेतु पुनः परीक्षण करने के निर्देश निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किये। इसके साथ ही राज्य परिषद् के व्यापार–व्यवहार के संबंध में नियमों में प्रावधान/संशोधन की अद्यतन स्थिति से परिषद को अवगत कराया गया। शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा ऊर्जा विभाग तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों की तत्परता से पालना हेतु निर्देशित किया गया। माननीय सदस्य श्री देवजी पटेल, लोक सभा सदस्य द्वारा व्यक्त किया गया कि वर्तमान में उपभोक्ता हैल्पलाइन क्रियाशील नहीं है, इसके संबंध में स्पष्ट किया कि निविदा हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की हुई हैं। इस पर उपभोक्ता हैल्प लाइन योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का प्रारंभ 15 मार्च 2011 को प्रारंभ किया गया। उक्त हैल्पलाइन पर काउंसलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को निःशुल्क सलाह, परामर्श मार्गदर्शन किया जाता है एवं उनकी उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। उक्त हैल्पलाइन का टेलीफोन नं. 18001806030 है और यह सोमवार से शनिवार तक सभी सरकारी कार्य दिवसों पर प्रातः 09.30 बजे से सायंकाल 05.30 बजे तक कार्य करती है। 15 मार्च 2011 से लेकर जून, 2018 तक हैल्पलाइन पर कुल 41593. शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस कम में परामर्श, सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया जाकर निस्तारण किया गया है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन के संचालन के अन्तर्गत माननीय मंत्री महोदय ने हैल्पलाइन संचालन हेतु अविलम्ब निविदा प्रक्रिया संपादित किये जाने एवं इसके सतत् संचालन के निर्देश प्रदान किये गये। इसके साथ ही परिषद् के सदस्य श्री प्रमोद झंवर एवं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि श्री ए.के. गोदीका ने ई–मित्र संचालकों द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया। इस पर परिषद् ने उक्त प्रकरण तत्काल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संज्ञान में लाये जाने हेतु आश्वस्त किया। इसके पश्चात् नवीन एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

बिन्दु सं	निर्णय	कियान्वयन स्तर एवं अवधि
1	(1) ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाली समझौता समिति की बैठकों में व्यवस्थागत सुधार हो। छाया–पानी एवं बैठक हेतु आवश्यक तैयारियां सुव्यवस्थित हो। (2) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट एवं विभिन्न अवसरों/माध्यमों से की गई उपभोक्ता हितैषी घोषणाओं एवं लाभ की जानकारी पब्लिक डोमेन/संबंधित कार्य स्थल पर प्रदर्शित की	प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग कियान्वयन अवधि 03 माह

	जावे। (3) ऊर्जा विभाग के प्रकरण, जो विभिन्न न्यायालयों/जिला उपभोक्ता मंच में लम्बित हैं, उनका निराकरण/निस्तारण समझौता समितियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे। (4) उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग/खपत के अनुसार कनेक्शन/मीटर की भार वृद्धि हेतु प्रेरित किए जाने के कम में भी प्रचार–प्रसार किया जावे। (5) विधान सभा में ऊर्जा विभाग से संबंधित की गई बजट घोषणाओं की कियान्विति का पीछा करने (Pursue) एवं उनके व्यापक प्रचार–प्रसार/प्रदर्शन को भी उपभोक्ता हित में सुनिश्चित किया जावे।	
2	राज्य के क्षेत्रीय मेलों में प्रचार–प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान/सहायता प्राप्ति हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जावे। मेलों में प्रचार–प्रसार की पद्धति–प्रकिया–मापदण्ड निर्धारित किए जावे।	निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग। **कियान्वयन अवधि एक माह**
3	(1) पूर्व में कार्यरत चल प्रयोगशाला योजना को पुनः सक्रिय किए जाने बाबत परीक्षण किया जावे। (2) दुग्ध उत्पादों (घी, दुध, पनीर एवं मावा) एवं मसालों (खुले/पैकेट बन्द) उत्पादों की जांच हेतु एक विशेष जांच अभियान प्रारंभ किया जाए। अभियान की जिलेवार रिपोर्ट तीन माह में प्रस्तुत की जावें। (3) गत तीन वर्षो में मिलावट के संबंध में की गई कार्यवाही की जिलेवार स्थिति/प्रगति से भी अवगत कराया जावे।	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। **कियान्वयन अवधि तीन माह।**
4	(1) ई–मित्र संचालकों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों का प्रदर्शन व्यवसाय स्थल के सहज एवं दृश्यनीय स्थान पर किया जावे। (2) निर्धारित दरों के अनुसार राशि वसूली जाने हेतु समय–समय पर आकस्मिक जांच भी	प्रमुख शासन सचिव, DOIT **कियान्वयन अवधि तीन माह।**

	संबंधित एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित की जावे।	
5	उपभोक्ताओं के सार्वकालिक हित में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों में लम्बित मामलों की निगरानी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए स्थायी तंत्र (समिति) का गठन किया है। इसकी बैठक समय–समय पर सुनिश्चित की जावें।	पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर **कियान्वयन अवधि एक माह।**

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मातादीन शर्मा)
निदेशक (उ0मा0)

JLR

12 FEB 2019

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

PS/CMD/T/R No. 4083
Dated 12/02/19

क्रमांक प.12(04)ऊर्जा/2017

जयपुर, दिनांक 12 FEB 2019

Joint Legal Remembrancer
RRVPNL Jaipur-5
R R No. 2514
Date 14.2.19

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण निगम लि0,
प्रबन्ध निदेशक
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि0,
जयपुर।

विषयः— राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक दिनांक 11.07.2018 का कार्यवाही विवरण
सन्दर्भः—विभाग के समसंख्यक पत्र कमांक प.12(04)ऊर्जा/2017 दिनांक 04.02.19

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 11.07.2018 में लिये गये निम्न निर्णय बिन्दु की पालना रिर्पोट चाही गई थी।

बिन्दु सं0	निर्णय
1	1. ऊर्जा विभाग के अंतर्गत होने वाली समझौता समिति की बैठकों में व्यवस्थागत सुधार हो। छाया–पानी एवं बैठक हेतु आवश्यक तैयारियां सुव्यवस्थित हो। 2. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट एवं विभिन्न अवसरों/माध्यमों से की गई उपभोक्ता हितैषी घोषनाओं एवं लाभ की जानकारी पब्लिक डोमेन/संबंधित कार्य-स्थल पर प्रदर्शित की जावें। 3. ऊर्जा विभाग के प्रकरण, जो विभिन्न न्यायालयों/जिला उपभोक्ता मंच में लम्बित है, उनका निराकरण/निस्तारण समझौता समितियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे। 4. उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग/खपत के अनुसार कनेक्शन/मीटर की भार वृद्धि हेतु प्रेरित किए जाने के क्रम में भी प्रचार–प्रसार किया जावे। 5. विधान सभा में ऊर्जा विभाग से संबंधित की गई बजट घोषनाओं की क्रियान्विति का पीछा करने (Pursue) एवं उनके व्यापक प्रचार–प्रसार की पद्धति–प्रक्रिया--मापदण्ड निर्धारित किए जावे।

परन्तु वांछित सूचना अभी तक अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उप निदेशक (योजना एवं प्रचार–प्रसार), पदेन उप राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त पत्र कमांक एफ.89(25)खा.दि./उ.सं./2006 दिनांक 06.02.2019 की प्रति संलग्न कर आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त निर्णय बिन्दु की पालना रिर्पोट से इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करे।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश चावला)
शासन उप सचिव, ऊर्जा

प्रतिलिपि – निदेशक, उपभोक्ता मामलात विभाग, आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल रवागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर राजस्थान के पत्र कमांक एफ.89(25)खा.दि./उ.सं./2006 दिनांक 06.02.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(13)

शासन उप सचिव ऊर्जा

५९

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ. 89(25)खा.वि./उ.सं./2006 जयपुर, दिनांक 6 .02.2019

1371
8/2/2019

शासन उप सचिव,
ऊर्जा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की दिनांक 11.07.2018।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक प. 12(04)ऊर्जा/2017 दिनांक 23.08.2018 एवं 24.01.2019

महोदय,

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–7 के अन्तर्गत विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 89(4)उ.सं./2013 दिनांक 04.01.2014 एवं विभागीय आदेश दिनांक 08.12.2016 द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक दिनांक 11.07.2018 को दोपहर 2.00 बजे माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में विचार–विमर्श के दौरान निम्न सुझाव प्राप्त हुए हैं :–

(1) ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाली समझौता समिति की बैठकों में व्यवस्थागत सुधार हो। छाया–पानी एवं बैठक हेतु आवश्यक तैयारियां सुव्यवस्थित हो।

(2) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट एवं विभिन्न अवसरों/माध्यमों से की गई उपभोक्ता हितैषी घोषणाओं एवं लाभ की जानकारी पब्लिक डोमेन/संबंधित कार्य स्थल पर प्रदर्शित की जावे।

(3) ऊर्जा विभाग के प्रकरण, जो विभिन्न न्यायालयों/जिला उपभोक्ता मंच में लम्बित हैं, उनका निराकरण/निस्तारण समझौता समितियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे।

(4) उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग/खपत के अनुसार कनेक्शन/मीटर की भार वृद्धि हेतु प्रेरित किए जाने के क्रम में भी प्रचार–प्रसार किया जावे।

(5) विधान सभा में ऊर्जा विभाग से संबंधित की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति का पीछा करने (Pursue) एवं उनके व्यापक प्रचार–प्रसार/प्रदर्शन को भी उपभोक्ता हित में सुनिश्चित किया जावे।

AS 7/2/19

7/2 Anamika

इसकी क्रियान्विति आपके विभाग के स्तर पर अपेक्षित है। समसंख्यक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपने इस संदर्भ में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण निगम लि0, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर एवं प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0, अजमेर/जोधपुर, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि0, जयपुर को निर्णय बिन्दु की पालना करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रति विभाग को पृष्ठांकित की गई थी। प्राप्त सुझाव के संबंध में निर्धारित समयावधि तीन माह बीत जाने के पश्चात् भी अभी तक इस संदर्भ में हुई प्रगति से विभाग को अवगत नहीं कराया गया है। चूंकि अतिशीघ्र राज्य परिषद् की बैठक आयोजित होनी है, अतः कृपया प्रगति रिपोर्ट से विभाग को अविलम्ब अवगत करावें।

भवदीय,

(मातादीन शर्मा)
निदेशक

आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल स्वागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर, राजस्थान
वेबसाइट : consumeraffairs.raj.nic.in ई–मेल आई.डी. : ddca72@gmail.com दूरभाष नं. : 0141–2209756

D:\DHARMENDRA\2019\Consumer Affairs\Rajlaxmi Ji\Letters, 2019\11